

प्रारूप-इ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/212905/JHS/JHANSI/1600/CFO

दिनांक: 07-08-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **MAHATMA HANSRAJ MODERN SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **114, 115, NEAR SHREE ROYAL CITY SHIVPURI ROAD, JHANSI** तहसील - **JHANSI** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	9.21 mt.

तथा प्लॉट एरिया **8831 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **MAHATMA HANSRAJ MODERN SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **09-08-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **NIRAJ KHATTRI** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-08-2026** से **09-08-2031** तक **5 वर्षों** के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : यह NOC आवेदक द्वारा अपलोड किए गए प्रपत्रों, पूर्व में निर्गत NOC एवम् किए गए निरीक्षण के क्रम में निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की जा रही है - 1. फायर और लाइफ सेफ्टी सिस्टम को हमेशा नियमों के अनुसार मय प्रशिक्षित कर्मचारियों के कार्यशील रखें, जिनके रख-रखाव हेतु अर्ह एजेंसी से A.M.C. कराकर अवगत कराएं।
2. पूरे स्कूल भवन का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य होगा।
3. संलग्न मानचित्र का JDA से अनुमोदन कराकर उसकी एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराएं तथा JDA के नियमों/ उपनियमों का पूर्णतः अनुपालन अनिवार्य होगा।
यदि स्कूल स्वामी/प्रबंधन द्वारा अग्नि एवम् जीव रक्षा संबंधित/J.D.A. /फायर सेफ्टी मानकों या उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो निर्गत NOC स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Raj Kishor Rai

AEA95FF1DB178704748CAC7A8CF6237CFA6C9054

10-08-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : **10-08-2026**
स्थान : **JHANSI**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

कार्यालय मुख्य अग्निशमन
पत्रांक: **upfs/2026/212905/jhs/jhansi/1600/cfo**
सेवा में,

अधिकारी झाँसी
दिनांक: सितम्बर, 23 2026

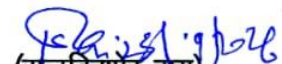
प्रबन्धक/स्वामी
**MAHATMA HANSRAJ MODERN SCHOOL,
114, 115, NEAR SHREE ROYAL CITY SHIVPURI ROAD,
DISTRICT JHANSI.**

विषय: आनलाइन निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्लॉट एरिया में संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करें जो यू0आई0डी0 संख्या: **upfs/2026/212905/jhs/jhansi/1600/cfo** दिनांक: 10.08.2026 को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में भवन का प्लॉट एरिया संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में है।

आपके उक्त पत्र एवं पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रो एवं शपथ-पत्र द्वारा उक्त यू0आई0डी0 संख्या के द्वारा निर्गत अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र में भवन का प्लॉट एरिया 8831 वर्गमीटर के स्थान पर 9635 वर्गमीटर संशोधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन एवं शपथ-पत्र के क्रम में यू0आई0डी0 संख्या: **upfs/2026/212905/jhs/jhansi/1600/cfo** दिनांक: 10.08.2026 को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में भवन का प्लॉट एरिया 8831 वर्गमीटर के स्थान पर 9635 वर्गमीटर समझा जाय, शेष विवरण निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुरूप यथावत है।


(राजकिशोर राय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
झाँसी